सं०सं०–म०नि०–II–उ० यो०–100/2022–23/ 41 रा०(वि०)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी०, भा० प्र० से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

राँची/दिनांक 27.01.23

विषय– वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य योजनान्तर्गत "फीड बेस्ड फिशरीज योजना" के तहत् जीर्णोद्धार मद में कुल मो0 24.56 लाख (चौबीस लाख छप्पन हजार) रुपये मात्र के व्यय एवं योजना कियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत "फीड बेस्ड फिशरीज" योजना अंतर्गत जीर्णोद्धार मद में उपलब्ध बजट उपबंध के विरुद्ध निम्नांकित कंडिका–2 में वर्णित जीर्णोद्धार कार्य हेतु मो0 24.56 लाख (चौबीस लाख छप्पन हजार) रुपये मात्र के व्यय एवं योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. जीर्णोद्धार कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न रुप से दी जाती है–

कम	जीर्णोद्धार कार्य	प्राक्कलित राशि (रु0 में)	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	स्थापना/जिला का नाम
लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
1	Renovation of Fish Feed Mill and Allied Structure in Shalimar Fisheries Market, Dhurwa, Ranchi, Jharkhand	24,56,000/–	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल सं0–2, राँची द्वारा दिनांक 22.09.2022 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	राँची
कुल योग:		**24,56,000/–**		

3. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में विभागीय राज्यादेश संख्या–17 रा० (वि०) दिनांक 08.08.2022 के द्वारा राज्य योजनान्तर्गत "फीड बेस्ड फिशरीज योजना" के तहत् कुल स्वीकृत बजट उपबंध रु० 800.00/– लाख (आठ करोड़ रुपये) के विरुद्ध कुल रु० 774.78/–लाख (सात करोड़ चौहत्तर लाख अठहत्तर हजार रुपये) मात्र का स्वीकृत्यादेश निर्गत है।

4. स्वीकृत राशि का व्यय निम्न बजट शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा जिसके लिए समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है :

क्र0	माँग संख्या–53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, मद एवं विपत्र कोड	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–56–फीड बेस्ड फिशरीज– विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार **53 S 24050079656010544**	25.00	24.56	0.44

(चौबीस लाख छप्पन हजार) रु0 मात्र।

5. राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस योजना अंतर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी।

6. इस योजना अंतर्गत संपूर्ण उपबंधित राशि वित्तीय वर्ष 2022–23 में व्यय होगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची होंगे। कंडिका 2 में अंकित जीर्णोद्धार कार्य के विरुद्ध वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल सं0–2, राँची के कार्यपालक अभियंता को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करायी जाएगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता से निरंतर संपर्क कर कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

7. तकनीकी रुप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण जीर्णोद्धार कार्य सुनिश्चित कराने के उपरांत ही कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को अंतिम भुगतान किया जाएगा।

8. यह चालू प्रकृति की राज्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।

9. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होगें तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

10. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

11. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0–सी0एस0–2/आर0–01–2005–301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

12. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

13. योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वीकृत बजट उपबंध मो0 374.98 लाख रु0 मात्र (मुख्य शीर्ष–2405 एवं मुख्य शीर्ष–4405 मिलाकर) में मो0 260.02 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

14. किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इस योजनान्तर्गत स्वीकृत सभी जीर्णोद्धार कार्य प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरुप किया जाय।

15. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

17. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब–साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 41 रा0(वि0)/रॉची, दिनांक 27.01.23

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 41 रा0(वि0)/रॉची, दिनांक 27.01.23

प्रतिलिपि :निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, रॉंची/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0 – 02, रॉंची/योजना विभाग, झारखण्ड, रॉची/वित्त विभाग (बजट शाखा) झारखण्ड, रॉची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त (सभी)/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, रॉंची के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव